पत्रांक– कारा/बजट (के0) 01–02/15...119...

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना।

पटना, दिनांकः–...30.../...3.../ 2016

विषयः– **मुख्य शीर्ष– 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष– 101 जेल, उपशीर्ष– 0001 केन्द्रीय जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹ 9,00,000 (नौ लाख रूपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड–N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–22/2015–295/वि0 दिनांक–24.03.2015, ब17/बी0एस0जी0–05/2015–396/वि0 दिनांक–24.04.2015, पत्र संख्या–एम–4–09/2014/5294 दिनांक–17.06.2015, पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–300/2015–1047/वि0 दिनांक 16.12.2015 एवं पत्रांक–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के पत्रांक–1932 दिनांक–12.03.2016 द्वारा कार्यालय व्यय मद में राशि ₹3,95,480 का प्रत्यर्पण स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन तथा प्रत्यर्पित राशि में से व्यय हेतु आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के पत्रांक–2339 एवं 2340 दिनांक–30.03.2016 के आलोक में विभिन्न आकस्मिक मदों में अतिरिक्त आवंटन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है।

क्र	कारा का नाम	कुट एवं मद का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना	13 01 कार्यालय व्यय	18,04,520	6,50,000	24,54,520	चौबीस लाख चौवन हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	39,41,000	2,50,000	41,91,000	एकतालीस लाख एकानवे हजार रूपये मात्र।
	कुल योग		**57,45,520**	**9,00,000**	**66,45,520**	**छियासठ लाख पैतालीस हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र।**

(नौ लाख रूपये मात्र)

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल (विपत्र कोड–एन02056001010001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंधित राशि के अन्तर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष– 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष– 101 जेल, उपशीर्ष– 0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि मदों की कूट संख्या, मांग संख्या– 22 एवं विपत्र कोड– N–2056001010001 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

8. सामग्री एवं पूर्तियाँ /आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री /खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार /आपूरक/अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।

9. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक–1395 दिनांक–03.03.2015 एवं 3804 दिनांक–26.06.2008 के शत–प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित, ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–02/15....119.... पटना, दिनांक:–...30.../...3.../ 2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–02/15....119.... पटना, दिनांक:–...30.../...3.../ 2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–02/15...119... पटना, दिनांकः–...30.../...3.../ 2016

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना एवं जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–02/15...119... पटना, दिनांकः–...30.../...3.../ 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।